

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 03 / 2023 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - आवास
फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम
ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लि0)
कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल,
साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर
इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर

उनवान
बनाम

1. श्री पन्ना लाल खारोल पुत्र
छोगा लाल खारोल निवासी वार्ड
नंबर 01 खारोल मोहल्ला,
भगवानपुरा, पंचायत समिति
माण्डल, जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती देउ खारोल पत्नि पन्ना
लाल खारोल निवासी वार्ड नंबर
01 खारोल मोहल्ला, भगवानपुरा,
पंचायत समिति, माण्डल, जिला
भीलवाड़ा वगैरह।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी - श्री महेन्द्र सिंह चौहान।



निर्णय

दिनांक : 13.02.2023

प्राधिकृत अधिकारी-आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ए.यू. हाउसिंग फाईनेंस लि0) कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 3,50,000/- रुपये का ऋण दिनांक 28.02.2019 को एवं 82,000/- रुपये का ऋण दिनांक 21.03.2020 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - श्री पन्ना लाल खारोल पुत्र छोगा लाल खारोल का एक आवासीय मकान नपती 15 फीट 2 इंच गुणा 42 फीट कुलिया 638 वर्गफीट जो कि पट्टा संख्या 04, भगवानपुरा, ग्राम पंचायत भगवानपुरा, पंचायत समिति, माण्डल जिला भीलवाड़ा में अवस्थित है, के आवासीय मकान का पट्टा विलेख दिनांकित 20.06.2016 एवं पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांकित 18.07.2016 जो कि उपपंजीयक कार्यालय, माण्डल जिला भीलवाड़ा में दिनांक 18.07.2016 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 25 पृष्ठ संख्या 144 क्रम संख्या 201603033101124 पर पंजीबद्ध है, जिसके पड़ोस पूर्व-मुमताज अली, पश्चिम-मोहन पुत्र छोगा खारोल, उत्तर-रोड, दक्षिण-मिश्रीलाल भण्डारी (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 02.09.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 4,68,304/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।